

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PARTIII-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 401

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2014/माघ 18, 1935

No. 40]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2014/MAGHA 18, 1935

विदेश मंत्रालय

(नालंदा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2014

सं एस/321/23/2011,—नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (20:0 का 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बुलाध्यक्ष की सहमति से शासी बोर्ड, नालंदा विश्वविद्यालय सर्विधि, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

 नालंदा विश्वविद्यालय सीविधि, 2012 की सीविधि 9 के खण्ड 1 में मद संख्या (ii) के पश्चात् निम्नलिखित मद शामिल किया जाएग, अर्थात् :—

"(ii क) विदेश मंत्रालय का एक नामित व्यक्ति"

डॉ. अनुपम रे, संयुक्त सचिव (नालंदा) [विज्ञापन III/4/असा./191-डी/13]

टिप्पणी: प्रमुख सींवधि अधिसूचना सं. एस/321/23/2011, दिनांक 31 मार्च—6 अप्रैल, 2012 भाग III, खण्ड 4 भारत के ग्रजपत्र (साप्ताहिक) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(NALANDA DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2014

No. S/321/23/2011.—In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Nalanda University Act, 2010 (39 of 2010) and with the assent of the Visitor, the Governing Board hereby makes the following amendment to the Nalanda University Statutes, 2012, namely:—

 In the Nalanda University Statutes, 2012, in statute 9, in clause (1), after item (ii) the following item shall be inserted, namely:—

"(iia) a nominee of the Ministry of External Affairs".

Dr. ANUPAM RAY, Jt. Secy. (Nalanda)

[ADVT. III/4/Exty./191-D/13]

Note: The principal Statutes were published in the Gazette of India (Weekly), Part III, Section 4, dated the March 31—April 6, 2012 vide notification No. S/321/23/2011.